

24

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 410/2019

कर्णजीत कौर पत्नी जरसासिह पुत्री चरणसिह जाति जटसिख निवासी बूड़ी मेड़ी  
तहसील ऐलनाबाद हाल निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

- 6. ज्ञानकौर पत्नी चरणसिह } जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी
- 7. जगजीतसिह पुत्र चरणसिह }
- 8. सर्वजीतकौर पत्नी निर्मलसिह पुत्र चरणसिह जटसिख निवासी ठोबरिया, तहसील
- 9. कुलदीपकौर पत्नी गुरदेवसिह पुत्री चरणसिह जटसिख निवासीबूड़ीमेड़ी } ऐलनाबाद।
- 10. मनदीपकौर पत्नी हरदीपसिह पुत्री चरणसिह जटसिख नि0 मिर्जापुरथेड़

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीरप्रसाद वर्मा वकील वादीया मिन  
जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया  
जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीया ज्ञानकौर के नाम से चकनं0 1 बी आर  
डबल्यू के जमाबन्दी सं0 2075 ता 78 के खाता सं0 40/34 में कुल 1.190 है0 मय  
गै0मु0, इसी चक के खाता सं0 105/94 में अंकित कुल 1.264 है0 नहरी मय गै0मु0,  
इसी चक के खाता सं0 175/165 में कुल 1.188 है0 मय गै0मु0, इसी चक के खाता  
सं0 176/35 में कुल 0.657 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी की वादीया को खातेदार  
काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में  
अंकन करने तथा चकनं0 1 बी आर डबल्यू के जमाबन्दी सं0 2075 ता 78 के खाता  
सं0 40/34, इसी चक के खाता सं0 105/94, इसी चक के खाता सं0 175/165,  
इसी चक के खाता सं0 176/35 में से प्रतिवादीया सं0 1 ज्ञानकौर का नाम कलमजन  
किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया  
जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड  
में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के  
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/12/19 को जारी  
किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी